जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 19.11.2024**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तारः-

आज दिनांक 19.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिला/बालिकाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला/बालिकाओं से अपराध संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला की हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 17.09.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत महिला से दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न कर हत्या करने के संबंध में मृतका के परिजन द्वारा थाना कैराना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.दुर्गेश कुमार वर्मा पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी मौहल्ला लाजपत राय थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.श्रीमति ऊषा वर्मा पत्नी दुर्गेश कुमार वर्मा निवासी मौहल्ला लाजपत राय थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 549/2024 धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 30 ग्राम स्मैक बरामदः-

दिनांक 18.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही एवं रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 03 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से अवैध 30 ग्राम स्मैक बरामद हुयी है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मुन्साद पुत्र जाबिर निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

2.गुलबहार पुत्र काला निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

3.असलम पुत्र जमशेद निवासी ग्राम मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 30 ग्राम स्मैक।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 1999 में अभियुक्त मतलूब पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम गढ़ीदौलत थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 115/1999 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि व 41/102 द0प्र0स0 पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 19.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2000 में अभियुक्त गजनफर पुत्र अब्बास अली निवासी ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 296/2000 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 19.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2003 में अभियुक्त कर्मा पुत्र ज्ञानचन्द निवासी ग्राम गढी अब्दुल्ला थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 254/2003 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 19.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि व 5,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.मतलूब पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम गढ़ीदौलत थाना कांधला जनपद शामली।

2.गजनगफर पुत्र अब्बास अली निवासी ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली।

3.कर्मा पुत्र ज्ञानचन्द निवासी ग्राम गढी अब्दुल्ला थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में गैंगस्टर के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2006 में अभियुक्त नूरा पुत्र कालू निवासी ग्राम शिकारपुर थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के मामले में थाना कांधला पर मु0अ0सं0 260/2006 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में आज दिनांक 19.11.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी कैराना, शामली द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त नूरा उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.नूरा पुत्र कालू निवासी ग्राम शिकारपुर थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI